सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

प्रीमियम रुक जाए.

फ़ायदे चलते रहें.

एलआईसी का जीवन लाभ

सीमित प्रीमियम एंडोमेंट प्लान

PLAN No. 936 UIN No.: 512N304V02

अपने एजेंट/शाखा से संपर्क करें या
हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर विज़िट करें या
एसएमएस करें 'आपके शहर का नाम' 56767474 पर

हमें फॉलो करें: LIC India Forever

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/AR/19-20/31/HIN

एलआईसी का जीवन लाभ (यूआईएन : 512N304V02)
(एक असंबद्ध, प्रतिभागी, वैयक्तिक, जीवन बीमा बचत योजना)

एलआईसी की जीवन लाभ एक असंबद्ध, प्रतिभागी, व्यक्तिगत, जीवन बीमा बचत योजना है जो कि बचत और सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का आकर्षक संयोजन पेश करती है. यह संयोजन परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में मृतक पॉलिसीधारक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है और पॉलिसीधारक की उत्तरजीविता के लिए परिपक्वता होने पर एकमुश्त राशि प्रदान करती है. यह योजना अपनी ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है.

1. लाभ :

क. मृत्यु हितलाभ :

पॉलिसी के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में देय मृत्यु हितलाभ, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो (अर्थात सभी देय प्रीमियम्स का भुगतान कर लिया गया हो), **"मृत्यु पर बीमाकृत राशि"**, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस एवं अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, होगा. जहाँ **"मृत्यु पर बीमाकृत राशि"** मूल बीमाकृत राशि या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक है, उसके रूप में परिभाषित है.

यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु होने की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा.

उपरोक्त संदर्भित प्रीमियमों में कर, अतिरिक्त प्रीमियम और हितलाभ प्रीमियम(में), यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं.

ख. परिपक्वता हितलाभ :

पॉलिसी अवधि पूर्ण होने तक जीवन बीमित व्यक्ति के उत्तरजीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो, **"परिपक्वता पर बीमाकृत राशि''**, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस एवं अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ देय होगी. जहाँ **"परिपक्वता पर बीमाकृत राशि''** मूल बीमाकृत राशि के बराबर है.

ग. हितलाभों में प्रतिभागिता :

यह पॉलिसी निगम के लाभों में प्रतिभागिता करेगी और इसे निगम के अनुभव के अनुसार घोषित सरल प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त करने की पात्रता होगी, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो.

इस पॉलिसी के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस भी घोषित किया जा सकता है, जब पॉलिसी या तो मृत्यु, या फिर परिपक्वता के परिणामस्वरूप दावे में परिणित होती है. प्रदत्त पॉलिसियों के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस देय नहीं होगा.

सक्रिय छानबीन से प्राप्त होने वाली अधिशेष राशि से, पॉलिसीधारकों को वास्तविक आबंटन, इस बारे में एलआईसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस बारे में प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा.

2. पात्रता की शर्तें एवं अन्य प्रतिबंध :

क) न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि : रु. 200,000

ख) अधिकतम मूल बीमाकृत राशि : कोई सीमा नहीं

(मूल बीमाकृत राशि रु. 10,000/- के गुणज में होगी)

ग) पॉलिसी अवधि/प्रीमियम भुगतान अवधि : (16/10), (21/15) एवं (25/16) वर्ष

घ) प्रवेश पर न्यूनतम आयु : (8) वर्ष (पूर्णकृत)

ड़) प्रवेश पर अधिकतम आयु : (59) वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 16 वर्ष के लिए
(54) वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 21 वर्ष के लिए
(50) वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 25 वर्ष के लिए

च) अधिकतम परिपक्वता आयु : (75) वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

इस योजना के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ होने की तिथि :

जोखिम के स्वीकृत होने पर तुरंत जोखिम प्रारंभ हो जाएगा.

इस योजना के अंतर्गत निहित की तिथि :

अगर पॉलिसी अवयस्क व्यक्ति के जीवन पर जारी की गई है, तो उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर जीवन बीमित में स्वतः निहित हो जाएगी और ऐसे निहित होने को निगम एवं जीवन बीमित व्यक्ति के बीच एक संविदा माना जाएगा.

3. उपलब्ध विकल्प :

I. राइडर हितलाभ :

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित पांच वैकल्पिक राइडर उपलब्ध हैं. लेकिन पॉलिसीधारक एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं विकलांगता लाभ राइडर या एलआईसी का दुर्घटना लाभ राइडर में से किसी एक को ही चुन सकता है.

क) एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं विकलांगता लाभ राइडर (UIN: 512B209V02)

इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो बीमित व्यक्ति के 70 वर्ष की उम्र के होने के नजदीकी जन्म दिन के पॉलिसी वर्षगांठ तक इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उपलब्ध होगा, अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो एक्सिडेन्ट बेनिफिट राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से देय होगी. दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) अशक्तता पैदा होने पर दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना लाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि, जो कि दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान है, के अंश हेतु प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा.

ख) एलआईसी का दुर्घटना लाभ राइडर (UIN : 512B203V03)

इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान तथा राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो. इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा. अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना लाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप में देय होगी.

ग) एलआईसी का न्यू टर्म एशोरेन्स राइडर (UIN : 512B210V01)

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है. इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा. अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म एशोरेन्स राइडर बीमा राशि के समान एक राशि का भुगतान किया जाएगा.

घ) एलआईसी का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर (UIN: 512A212V01)

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है. इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा. अगर इस राइडर को लिया जाता है तो इस राइडर के अंतर्गत संरक्षित विनिर्धारित 15 क्रिटिकल इलनेस (गंभीर बीमारियों) में से किसी के पहली बार निदान होने पर, क्रिटिकल इलनेस बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा.

ड) एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (UIN: 512A204V03)

किसी प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर इस राइडर को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी तथा राइडर की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो. साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस राइडर को लेते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है. राइडर की अवधि (25–राइडर लेते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र) से अधिक नहीं होगी. अगर राइडर की अवधि + प्रस्तावक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो तो राइडर की अनुमति नहीं होगी.

अगर इस राइडर को लिया जाता है तो, प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से राइडर अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा. लेकिन किसी स्थिति में, अगर मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि, राइडर की अवधि से अधिक हो तो इस प्रीमियम माफी बेनिफिट राइडर अवधि की समाप्ति की तिथि से देय होने वाले मूल पॉलिसी के अंतर्गत अगले प्रीमियम्स का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा. ऐसे प्रीमियम्स का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता पॉलिसी बन जाएगी.

एलआईसी के दुर्घटना लाभ राइडर/एलआईसी के दुर्घटना से मृत्यु एवं विकलांगता लाभ राइडर तथा एलआईसी के न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर के लिए प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत के 100% से अधिक नहीं होगा तथा सभी जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम बेस प्लान के अंतर्गत प्रीमियम्स के 30% से अधिक नहीं होगा.

उपरोक्त प्रत्येक राइडर बीमा राशि मूल प्लान के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती.

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें.

II. परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प:

निपटान विकल्प प्रभावी और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है. इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्तियों की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है. बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि के परम मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है.

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
त्रैमासिक	रु. 15,000/-
अर्द्ध-वार्षिक	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा.

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतानों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दरों को निगम द्वारा समय-–समय पर निर्धारित किया जाएगा.

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करना, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा.

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या त्रैमासिक या अर्द्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा.

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

क. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प पर अमल किया है, अब उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को एक साथ लेना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी. ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा.

- भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प पर अमल किया गया था)– (अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

ख. भविष्य के किस्त भुगतानों की रियायत के लिए लागू ब्याज दर का निर्धारण निगम द्वारा समय –समय पर किया जाएगा.

ग. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, बिना किसी बदलाव किया जाता रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा.

III. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:

यह मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है. इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है. पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि का परम मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है.

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी.

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
त्रैमासिक	रु. 15,000/-
अर्द्ध-वार्षिक	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.

इस विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतानों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दरों को निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा.

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प पर अमल करना, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक या बीमित व्यक्ति अगर वह वयस्क हो, पॉलिसी के चालू रहने के समय अपने जीवन काल में किस्त भुगतान की अवधि तथा कुल दावा राशि, जिसके लिए वह विकल्प पर अमल करना चाहता है, का उल्लेख करते हुए इस विकल्प को चुन सकता है. पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार तब नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा.

4. प्रीमियमों का भुगतान :

प्रीमिम्स का भुगतान निमित रूप से वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतरालों में (केवल एनएसीएच या पॉलिसी अवधि के दौरान वेतन से कटौती के ज़रिए) किया जा सकता है.

5. अनुग्रह अवधि

भुगतान न हुई प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या अर्द्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी. इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी. यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है.

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं.

6. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम :

मानक जीवन के लिए रु. 2 लाख की मूल बीमाकृत राशि के लिए नमूने की उदाहरणार्थ वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है :

आयु (वर्षों में)	पॉलिसी अवधि/प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)		
	16 (10)	21 (15)	25 (16)
20	16,699	10,682	9,006
30	16,758	10,770	9,134
40	17,013	11,133	9,584
50	17,826	12,123	10,741

उपरोक्त प्रिमियम कर कटौती योग्य है.

7. छूट :

विधि छूट :

वार्षिक विधि – सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%

अर्द्ध-वार्षिक विधि – सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%

त्रैमासिक, मासिक एवं एसएसएस - शून्य

उच्च बीमाकृत राशि छूट :

मूल बीमाकृत राशि (बीएसए)		छूट (रु.)
2,00,000 से 4,90,000	-	शून्य
5,00,000 से 9,90,000	-	मूल बीमाकृत राशि का 1.25 ‰
10,00,000 से 14,90,000	-	मूल बीमाकृत राशि का 1.50 ‰
15,00,000 और उससे अधिक	-	मूल बीमाकृत राशि का 1.75 ‰

8. पुनर्चलन :

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह के दिनों के समापन के पहले नहीं किया जाता है तो इससे पॉलिसी कालातीत हो जाएगी. किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षो की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनचलित करवाया जा सकता है. यह पुनर्चलन समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी लाभ हितलाभ चुना गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है.

निगम के पास मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या स्थगित पॉलिसी के पुन:प्रचालन से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है. स्थगित पॉलिसी का पुन: प्रचालन केवल उसे निगम द्वारा स्वीकृत करने एवं पॉलिसीधारक को विशेष रूप से इसके बारे में पुन:प्रचालन रसीद किए जाने के बाद प्रभावी होगा.

राइडर (र्स) का पुन: प्रचालन, अगर चुना गया हो, तो केवल मूल पॉलिसी के पुन:प्रचालन के साथ विचारणीया होगा तथा अलग से नहीं किया जाएगा.

9. चुकता पॉलिसी :

यदि दो वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा.

यदि कम से कम दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णत: शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी.

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत ''**मृत्यु पर बीमाकृत राशि मृत्यु प्रदत्त बीमाकृत राशि**'' नामक ऐसी एक राशि तक कम हो जाएगी और वह **मृत्यु पर बीमाकृत राशि** के बराबर होगी जो उस कुल अवधि के अनुपात के गुणक में होगी, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं. जीवन बीमित व्यक्ति की पूर्व मृत्यु पर **मृत्यु प्रदत्त बीमाकृत राशि** के अतिरिक्त, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, भी देय होगा.

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत ''**परिपक्वता पर बीमाकृत राशि परिपक्वता प्रदत्त बीमाकृत राशि**'' नामक ऐसी एक राशि तक कम हो जाएगी और वह परिपक्वता पर बीमाकृत राशि जो उस कुल अवधि के अनुपात के गुणक में ले, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं, के बराबर होगी. पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर **परिपक्वता प्रदत्त बीमाकृत राशि** के अलावा, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, भी देय होगा.

एक प्रदत्त पॉलिसी भावी लाभों में प्रतिभागिता के लिए पात्र नहीं होगी. हालाँकि, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, न्यूनकृत प्रदत्त पॉलिसी के साथ संलग्न रहेगा.

हितलाभ(भों) का कोई प्रदत्त मूल्य नहीं होता है और हितलाभ लाभों का लागू होना स्थगित हो जाएगा, यदि पॉलिसी कालातीत स्थति में होती है.

10. अभ्यर्पण :

पॉलिसी किसी भी समय अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते कि दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो. पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा, जो गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यूर्पण मूल्य के बराबर या उससे अधिक होगा.

विशेष अभ्यर्पण मूल्य समीक्षा-योग्य है और उसका निर्धारण समय-समय पर निगम द्वारा IRDAI के पूर्व-अनुमोदन के अधीन होकर किया जाता है.

पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई कुल प्रीमियमों (इसमें अतिरिक्त प्रीमियमें, कर और हितलाभ(भों) के लिए प्रीमियमें, यदि इन्हें चुना गया हो, शामिल नहीं हैं) के बराबर भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणक में होगा. जिसका प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे निम्नानुसार हैं :

भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक				
		पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)...>		
		16 (10)	21(15)	25 (16)
	1	0.00%	0.00%	0.00%
	2	30.00%	30.00%	30.00%
	3	35.00%	35.00%	35.00%
	4	50.00%	50.00%	50.00%
	5	50.00%	50.00%	50.00%
	6	50.00%	50.00%	50.00%
	7	50.00%	50.00%	50.00%
	8	53.75%	52.30%	51.80%
	9	57.50%	54.60%	53.50%
	10	61.25%	56.90%	55.30%
	11	65.00%	59.20%	57.10%
पॉलिसी	12	68.75%	61.50%	58.80%
	13	72.50%	63.80%	60.60%
	14	76.25%	66.20%	62.40%
	15	90.00%	68.50%	64.10%
	16	90.00%	70.80%	65.90%
	17		73.10%	67.60%
	18		75.40%	69.40%
	19		77.70%	71.20%
	20		90.00%	72.90%
	21		90.00%	74.70%
	22			76.50%
	23			78.20%
	24			90.00%
	25			90.00%

इसके अतिरिक्त, किन्हीं निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों, यदि कोई हों, का अभ्यर्पण मूल्य भी देय होगा, जो निहित बोनस पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणक बराबर होगा. ये कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे निम्नानुसार हैं :

निहित बोनसों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक				
		पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)...>		
		16 (10)	21(15)	25 (16)
पॉलिसी	1	0.00%	0.00%	0.00%
	2	0.00%	0.00%	0.00%
	3	17.58%	15.93%	15.28%
	4	17.66%	16.22%	15.42%
	5	17.85%	16.58%	15.55%
	6	18.16%	17.03%	15.72%
	7	18.60%	17.58%	15.93%
	8	19.18%	17.58%	16.22%
	9	19.93%	17.66%	16.58%
	10	20.85%	17.85%	17.03%
	11	21.99%	18.16%	17.58%
	12	23.38%	18.60%	17.58%
	13	25.05%	19.18%	17.66%
	14	27.06%	19.93%	17.85%
	15	30.00%	20.85%	18.16%
	16	35.00%	21.99%	18.60%
	17		23.38%	19.18%
	18		25.05%	19.93%
	19		27.06%	20.85%
	20		30.00%	21.99%
	21		35.00%	23.38%
	22			25.05%
	23			27.06%
	24			30.00%
	25			35.00%

11. पॉलिसी ऋण :

पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम दो वर्ष के प्रीमियम्स का भुगतान कर दिया गया हो जो कि समय–समय पर निगम द्वारा विनिर्धारित नियमों व शर्तों के अधीन होगा.

अभर्पण मूल के प्रतिशत के रूप में अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

- प्रभावी पॉलिसियों के लिए –90% तक
- चुकता पॉलिसिों के लिए –80% तक

पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज लिया जाएगा तथा ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू ब्याज दर को आवधिक अंतरालों पर गणना की जाएगी. आईआरडीएआई द्वारा स्वीकृत विधि से निगम द्वारा लागू ब्याज दर की घोषणा की जाएगी.

पॉलिसी से बाहर निकलते समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी.

12. कर :

(1) भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी.

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम(मों) पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के अलावा अलग से संग्रहित किया जाएगा. भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

(2) आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें.

13. निशुल्क अवलोकन अवधि :

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी बॉण्ड की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी निगम को वापस लौटाई जा सकती है. इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और हितलाभ(भों) के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सीय परीक्षण, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो और स्टाम्प शुल्क प्रभार पर हुए खर्च की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी.

14. अपवर्जन :

आत्महत्या : यह पॉलिसी अमान्य हो जाएगी

1. यदि जीवन बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या फिर विक्षिप्त) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियमों के 80% को छोड़कर अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो.
2. यदि जीवन बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या फिर विक्षिप्त) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, देय होगा. निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.

   यह अनुच्छेद प्रदत्त मूल्य अर्जित किए बिना कालातीत होने वाली पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा.

टिप्पणी : उपरोक्त संदर्भित प्रीमियमों में कोई भी कर, अतिरिक्त राशि और टर्म एश्योरेन्स हितलाभ, यदि कोई हो, के अलावा कोई भी अन्य हितलाभ प्रीमियम(में) शामिल नहीं हैं.

लाभ का उदाहरण :

जीवन बीमित व्यक्ति की आयु (निकटतम जन्मदिन)	30 वर्ष
पॉलिसी अवधि	25 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	16 वर्ष
प्रीमियम भुगतान विधि	वार्षिक
मूल बीमाकृत राशि	₹ 200,000
प्रीमियम (कर छोड़कर)	₹ 9,134

विभिन्न परिदृष्यों के अंतर्गत उपलब्ध लाभ

(राशि रु. में)

वर्ष का समापन	वर्ष के अंत तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम	गारंटीड लाभ		नॉन-गारंटीड लाभ (सरल प्रत्यावर्ती बोनस)		कुल मृत्यु लाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, सहित		कुल परिपक्वता लाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, सहित	
		मृत्यु पर बीमाकृत राशि	परिपक्वता पर बीमाकृत राशि	परिदृष्य 1	परिदृष्य 2	परिदृष्य 1	परिदृष्य 2	परिदृष्य 1	परिदृष्य 2
5	45,670	200,000	-	4,000	30,000	230,000	204,000	-	-
10	91,340	200,000	-	8,000	60,000	260,000	208,000	-	-
15	137,010	200,000	-	12,000	90,000	291,000	212,000	-	-
20	146,144	200,000	-	16,000	120,000	325,000	216,000	-	-
25	146,144	200,000	200,000	20,000	170,000	370,000	220,000	220,000	370,000

अस्वीकरण :

1. यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सीय, जीवनशैली एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन के लिए लागू है, जहाँ कोई हितलाभ नहीं चुना गया है.
2. कुछ लाभ गारंटीड हैं और कुछ लाभ जो भावी प्रदर्शन पर आधारित प्रतिफलों के साथ नॉन-गारंटीड लाभ हैं, माने गए भावी निवेश प्रतिफलों की दो अलग-अलग दरें दर्शाते हैं.
3. i) उपरोक्त उदाहरण में नॉन– गारंटीड हितलाभों की गणना इस प्रकार की गई है कि वे आमदनी की प्रोजेक्टेड निवेश दर अनुमान 4% (उदाहरण 1) तथा 8% (उदाहरण 2) के अनुरूप हो. ii) दूसरे शब्दों में, लाभ के इस उदाहरण को तैयार करने के दौरान यह माना गया है कि प्रतिफल की वह दर्शाई गई निवेश दर, जो भा.जी.बी.नि. की पॉलिसी की अवधि में अर्जित कर पाएगा, वह 4% प्रतिवर्ष या 8% प्रतिवर्ष, जैसा भी मामला हो, होगी. प्रतिफल की दर्शाई गई निवेश दर गारंटीड नहीं है और ये उसकी ऊपरी या निचली सीमाएँ नहीं हैं, जो आपको वापस मिलने वाला है, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य वास्तविक भावी निवेश प्रदर्शन सहित अनेक कारकों पर निर्भर है.

4) इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उसी स्तर के परिमाणन के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभों के प्रवाह एवं उत्पाद की विशेषताओं को समझ सके.

बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 45

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधन अनुसार होंगे. इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है :

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के अनुसार पॉलिसी से संबंधित सवाल न उठाए जाने वाले प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. निम्नांकित से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा :
   - क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या
   - ख. जोखिम शुरू होने की तिथि, या
   - ग. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या
   - घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि हितलाभ की तिथि

   जो भी बाद में हो

2. धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है :

   क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या

   ख. जोखिम शुरू होने की तिथि, या

   ग. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या

   घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि हितलाभ की तिथि
   जो भी बाद में हो

   इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं सामग्रियों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित होता है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए.

3. धोखाधड़ी का आशय निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से किया जाता है :

   क. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   ख. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   ग. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   घ. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो.

4. केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्त्तव्य है या मौन रहना अपने आप में बोलने के समकक्ष हो.

5. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत-बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान-बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत-बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था. खंडन करने का कार्यभार जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है.

6. जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत-बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनचलित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था. इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का परित्याग करने का निर्णय लिया गया है.

7. यदि परित्याग गलत-बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, परित्याग की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को परित्याग की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा.

8. तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर प्रत्यक्ष भार न डालता हो. यह दर्शाने का कर्त्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती.

9. बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित हैं. इसलिए, यह अनुच्छेद आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा.

(**अस्वीकरण : यह बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 की व्यापक सूची नहीं है और केवल सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया सरलीकृत संस्करण है. पॉलिसी धारकों को पूर्ण और सटीक विवरण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 को देखने की सलाह दी जाती है.**)

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41) :

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो :

2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है.

यह उत्पाद विवरणिका योजना की मुख्य विशेषताओं का ही वर्णन करती है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारे वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध पॉलिसी दस्तावेज देखें अथवा हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

बनावटी एबं कपट/फर्जी फोन कॉलों से सावधान रहें

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसी बेचने, लाभांश घोषित करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। ऐसी फोन कॉल प्राप्त करने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि इसकी शिकायत पुलिस से करें।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021
वेबसाइट: www.licindia.in,
पंजीकरण संख्या: 512